विकास की योजनाएं

(डुबते को तीनके का सहारा)

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान"

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

www.bihan.gov.in

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 को लागू किया गया है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। इन कानून का दूसरा पहलू स्थाई संपदाओं को निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है।

योजना का उद्देश्य	देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना।
विशेषताएँ	ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य रोजगार के लिए आवेदन दे सकते है, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। योजना का लाभ उठाने के लिए लिखित या मौखिक तौर पर ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होता है। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जॉब कार्ड आवेदक को निःशुल्क दिया जाता है। मांग आवेदन के 15 दिन के भीतर आवेदक को रोजगार मुहैया कराना अनिवार्य होता है। मजदूरी का भुगतान अधिकतम 15 दिन के भीतर किया जाना होता है। योजना अंतर्गत जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि विकास, सूखे की रोकथाम, बाढ़ सुरक्षा आदि कार्यो को प्राथमिकता दिया जाता है। ग्राम सभा द्वारा कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।
हितग्राही की पात्रता	ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है।
मिलने वाले लाभ	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 100 दिवस का रोजगार और राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार इस प्रकार कुल 150 दिवस का रोजगार तथा 159 रू. प्रति दिवस मजदूरी।
सम्पर्क	ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

योजना का उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता देकर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना।
विशेषताएँ	एसईसीसी 2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा हितग्राही का चयन। न्युनतम 25 वर्ग मीटर का टिकाउ आवास के साथ रसोई तथा शौचालय। लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अगर चाहे तो आवश्यकतानुसार रू. 70,000 हजार तक का बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाऐगा। आवाससॉफ्ट एवं पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सहायता राशि का सीधा भुगतान किया जायेगा।
हितग्राही की पात्रता	गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले आवासहीन परिवारों, मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार जो अत्याचार से पीड़ित हैं। अ.जा., अ.ज.जा. वर्ग के वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा या अविवाहित महिला है। बाढ़, आगजनी, भूकम्प, चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए गरीब परिवार।
मिलने वाले लाभ	नवीन आवास निर्माण हेतु 70,000 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रूपये एवं घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 75,000 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार रूपये की अनुदान सहायता।
सम्पर्क	ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव।

आईएपी जिले में लाभ	सामन्य जिले में लाभ
बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव एवं कबीरधाम आईएपी जिले हैं जिनमें लाभ निम्नानुसार मिल रहा है– • इकाई लागत 1.30 लाख • महात्मा गांधी नरेगा से प्राप्त वित्तीय लाभ रू. 15,865/– • महात्मा गांधी नरेगा से शौचालय निर्माण रू. 12,000/– dy 1-57 yk[k	बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, जांजगीर–चांपा, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार एवं सूरजपुर सामान्य जिले है, जिनमें लाभ निम्नानुसार मिल रहा है– • इकाई लागत 1.20 लाख • महात्मा गांधी नरेगा से प्राप्त वित्तीय लाभ रू. 15,030/– • महात्मा गांधी नरेगा से शौचालय निर्माण रू. 12,000/– dy 1-47 yk[k
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु ईट एवं खपरा बनाने कार्य करने वाले स्व–सहायता समूहों से सामाग्री क्रय की जा सकती है तथा उनको महात्मा गांधी नरेगा के अकुशल श्रमिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है।	

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना

हमारे देश में अधिकांश महिलाओं को आज भी अल्पपोषण प्रतिकुल रूप से प्रभावित करता है। देश में हर तीसरी महिला अल्पपोषित है तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। अल्पपोषित माता कम वजन वाले शिशुओं को जन्म देती है। आर्थिक एवं सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाएँ अपनी गर्भावथा के आखरी दिनों तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करना जारी रखती है। इसके अलावा, वे बच्चे के जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती है, जबकी उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार वे अपने शरीर को पुरी तरह स्वस्थ्य होने से रोकती है और पहले छः माह में अपने नौनिहालों को प्रयाप्त स्तनपान नहीं करा पाती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे रू. 5000/– खाते में नगद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाऐगी।

उद्देश्य :– मजदूरी की क्षति के बदले में नगद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएँ पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में प्रयाप्त विश्राम कर सके।

प्रदान किये गये नगद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ्य रहने के आचरण में सुधार होगा।

हितग्राही :– ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में है, अर्थात शेष गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली गरीब माताएँ।

पात्र गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 01.01.2017 या इसके बाद गर्भवती हुई है।

हितग्राही के लिए गर्भधारण तथा चरण की गणना एमसीपी कार्ड में उल्लेखित उसकी पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जाएगी।

योजना अंतर्गत हितग्राही केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

लाभ :– तीन किस्तों में नगद प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाऐगी।

आंगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में गर्भधारण का पंजीयन कराने पर रू. 1000/– की पहली किस्त।

कम से कम एक प्रसव पूर्व जॉच कराने पर गर्भधारण के छः माह बाद रू. 2000/– की दूसरी किस्त।

बच्चे के जन्म का पंजीयन कराने तथा बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाईटीस–बी या इसके समतुल्य टीके का पहला चक्र लगवा लेने के बाद रू. 2000/– कर तीसरी किस्त मिलेगी।

हितग्राही संस्था में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में मापदण्ड अनुसार नगद राशि प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना का उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले प्रदेश के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना। बीमित गरीब परिवार का सदस्य स्मार्ट कार्ड के जरिए देश के किसी भी सरकारी अस्पताल और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में अपना निःशुल्क इलाज करा सकता है।
हितग्राही की पात्रता	गरीबी रेखा सूची में नाम होना अनिवार्य।
मिलने वाले लाभ	इस योजना के तहत् प्रत्येक गरीब परिवार के मुखिया को फोटोयुक्त डिजीटल स्मार्ट कार्ड वितरित किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से एक गरीब परिवार के मुखिया सहित परिवार के चार लोगों का एक वर्ष में तीस हजार रूपए तक निःशुल्क इलाज हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा की समस्त प्रीमियम राशि शास द्वारा वहन की जाती है। हितग्राही को केवल पंजीयन और स्मार्ट कार्ड का शुल्क केवल तीस रूपए ही भुगतान करना होता है। बीमा कम्पनी गरीब परिवारों के स्मार्ट कार्ड बनाने के लिऐ गांवों में शिविर लगाती है और स्वास्थ्य अमले के सत्यापन के बार हितग्राही को मौके पर ही स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाता है। स्मार्ट कार्ड मिलने के तुरंत बांद हितग्राही किसी भी शासकीय एवं प्रदेश और प्रदेश के बाहर के चिन्हित किसी भी निजी अस्पताल में इलज कराने के लिए पात्र हो जाता है।
सम्पर्क	निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना का उद्देश्य	राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना के दायरे में नहीं आने वाले प्रदेश के सभी परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
मिलने वाले लाभ	इसके अंतर्गत एक स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिससे एक परिवार के किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में 50 हजार तक निःशुल्क इलाज की सुविधा होगी।
हितग्राही की पात्रता	छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।
संपर्क सूत्र	स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय, पुराना नर्सिग हॉस्टल, रायपुर

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना एक नवीन योजना है, जिसे 01.04.2018 को पूरे भारत में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगो (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

- योजना के तहत् गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब परिवारों का बीमा कराया जायेगा तथा उनका मुक्त इलाज कराया जायेगा
- योजना अंतर्गत 5 लाख रूपये तक का बीमा कराया जायेगा अर्थात बीमा का कवर 5 लाख रूपये तक होगा।
- योजना के दो भाग है। पहला गरीब परिवारों का बीमा व दूसरा देश के विभिन्न क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस केन्द्र खोलना एवं मौजूदा स्वास्थ्य केन्द्रों का सुधार तथा नवीनीकरण करना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना का उद्देश्य	देश के युवाओं को स्वयं का उद्यम/व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंक/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।
हितग्राही की पात्रता	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्याता 8 वीं उत्तीर्ण, स्व–सहायता समूह/सोसायटी भी पात्र।
मिलने वाला लाभ	योजना के तहत तीन श्रेणियों में ऋण की सुविधा – 1. शिशु में 50 हजार रूपये तक। 2. किशोर में 50 हजार से 05 लाख तक। 3. तरूण में 05 लाख से 10 लाख तक।
योजना का उद्देश्य	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

योजना का उद्देश्य	प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना।
हितग्राही की पात्रता	योजना में 18 से 70 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे, योजना के लाभ हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
मिलने वाले लाभ	योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा वर्ष में एक बार रूपये 12/– पंजीकृत हितग्राही के बैंक खाते में स्थनांतरित किया जावेगा, योजना के तहत् दुर्घटना में मृत्यु पर रूपये 02 लाख एवं स्थायी अपंगता पर रूपये 02 लाख संबंधित बैंक द्वारा उत्तराधिकारी को देय होगा।
सम्पर्क	नजदीकी बैंक शाखा, इश्योरेंस कार्यालय, बैंक मित्र।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

योजना का उद्देश्य	प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना।
हितग्राही की पात्रता	योजना में 18 से 50 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे, योजना के लाभ हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
मिलने वाले लाभ	योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा वर्ष मेकं एक बार रूपये 330/– पंजीकृत हितग्राही के बैंक खाते में स्थनांतरित किया जावेगा, योजना के तहत् सामान्य मृत्यु पर रूपये 02 लाख संबंधित बैंक द्वारा उत्तराधिकारी को देय होगा।
सम्पर्क	नजदीकी बैंक शाखा, इश्योरेंस कार्यालय, बैंक मित्र।

i/kkuea=h lqj{kk chek ;kstuk	i/kkuea=h thou T;kfr chek ;kstuk
मात्र 12 रूपये प्रतिवर्ष में रू. 2 लाख मूल्य का दुर्घटना बीमा उम्र संबंधित पात्रता : 18 से 70 वर्ष	मात्र 330 रूपये प्रतिवर्ष में रू. 2 लाख मूल्य का जीवन बीमा उम्र संबंधित पात्रता : 18 से 50 वर्ष
बीमा अवधि : 01 जून से 31 मई बैंक खाता से ''आटो डेबिट'' सुविधा के जरिये वार्षिक प्रीमियम दुर्घटना से 30 दिनों के अंदर अपना दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा सूचना के 60 दिनों के अंदर दावे का पिटारा।	

अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना

योजना का उद्देश्य	खेतीहर मजदूरों का शत–प्रतिशत निःशुल्क बीमा।
हितग्राही की पात्रता	2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक अथवा खेतीहर मजदूर जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष हो।
मिलने वाले लाभ	दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 हजार, सामान्य मृत्यु पर 30,000 हजार, स्थाई पूर्ण अपंगता पर 75,000 हजार एवं आंशिक अपंगता पर 37,500 हजार का हितलाभ बीमित व्यक्ति के नामित को प्राप्त होगें। बीमित व्यक्ति के परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को जो 9वी. से 12वी. कक्षा में अथवा आई. टी.आई. में अध्ययनरत हो तो प्रति माह 100 रू. की छात्रवृत्ति दी जायेगी।
सम्पर्क	संबंधित जनपद पंचायत।

आम आदमी बीमा योजना

योजना का उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा।
हितग्राही	1. सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। 2. सदस्य की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र के बीच होनी चाहिए। 3. सदस्य बी.पी.एल. सर्वे में चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए।
मिलने वाले लाभ	प्रीमियम राशि 200 रू. प्रति वर्ष (राज्यांश रू. 100 एवं केन्द्रांश रू. 100) का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा हितग्राही को कोई भुगतान नहीं करना है। दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 हजार, बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30,000 हजार, स्थाई पूर्ण अपंगता पर 75,000 हजार एवं आंशिक अपंगता पर 37,500 हजार का हितलाभ बीमित व्यक्ति के नामित को प्राप्त होगें। बीमित व्यक्ति के परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को जो जो 9वी. से 12वी. कक्षा में अथवा आई.टी.आई. में अध्ययनरत हो तो प्रति माह 100 रू. की छात्रवृत्ति दी जायेगी।

अटल पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य	प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा का लाभ देना।
हितग्राही की पात्रता	योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे, हितग्राही को कम से कम रूपये 800/– वर्षिक अंशदान जमा करना होगा, भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष तक हितग्राही द्वारा जमा राशि का आधा अथवा रूपये 1,000/– जो कम हो अंशदान देय होगा, मंडल द्वारा रूपये 1,200/– देय होगा, योजना के लाभ हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
मिलने वाले लाभ	पंजीकृत हितग्राही को वर्ष में उनके द्वारा जमा राशि से पेंशन देय होगा।
सम्पर्क	सहायक श्रमयुक्त, श्रम पदाधिकारी के साथ–साथ समस्त श्रम निरीक्षकों एवं श्रम उप निरीक्षकों को होगा।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

योजना का उद्देश्य	शून्य से छह वर्ष आयु तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की बुनियाद रखना। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण, कम जन्मभार तथा शाला छोड़ने की प्रवृति में कमी लाना। गर्भवती एव शिशुवती महिलाओं तथा समुदाय को स्वास्थ्य पोषण की शिक्षा देकर सक्षम बनाना।
क्रियान्वयन एजेंसी	महिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदक के लिए पात्रताएँ	शून्य से छह वर्ष आयु तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं।
मिलने वाला लाभ	पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकारण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, परामर्श सेवाएं।
सम्पर्क	अपने क्षेत्र के पास के आंगनबाड़ी केन्द्र, पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी।

नवा जतन योजना

योजना का उद्देश्य	पोषण शिक्षा और आवश्यक प्रशिक्षण एवं समुदाय आधारित प्रबंधन के माध्यम से कम वजन वाले मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों की स्थिति में छह माह से सुधार लाना।
क्रियान्वयन एजेंसी	महिला एवं बाल विकास विभाग।

नोनी सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्य	प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना आदि।
क्रियान्वयन एजेंसी	महिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदक के लिए पात्रताएं	एक अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम दो बालिका।
मिलने वाला लाभ	योजना में पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा एक लाख रूपये परिपक्वता राशि दी जाएगी।
संपर्क सूत्र	अपने क्षेत्र के पास के आंगनबाड़ी केन्द्र, पर्यवेक्षक/बाला विकास परियोजना अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध।
मिलने वाले लाभ	60 से 79 वर्ष आयुवर्ग–350/– प्रतिमाह (केन्द्रांश–200/–, राज्यांश–150/–) 80 वर्ष या ऊपर–650/– प्रतिमाह (केन्द्रांश–500/–, राज्यांश–150/–)।
चयन प्रक्रिया	नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचातयों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं।
मिलने वाले लाभ	350/– प्रतिमाह (केन्द्रांश–300/–, राज्यांश–50/–)।
चयन प्रक्रिया	नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचातयों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति।
मिलने वाले लाभ	500/– प्रतिमाह (केन्द्रांश–300/–, राज्यांश–200/–)।
चयन प्रक्रिया	नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचातयों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

योजना का उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही परिवार का अधिकांश गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
हितग्राहीयों की पात्रता	1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है। 2. मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो।
मिलने वाला लाभ	20,000/– एकमुश्त।
चयन प्रक्रिया	नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरी निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहीयों की पात्रता	1. छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी। 2. 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी। 3. 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति। 4. बौने व्यक्ति।
मिलने वाले लाभ	350/– प्रतिमाह।
चयन प्रक्रिया	नगरी निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।

सुखद सहारा योजना

योजना का	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहीयों की पात्रता	1. 18–39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। 2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिलायें।
मिलने वाले लाभ	350/– प्रतिमाह।
चयन प्रक्रिया	नगरी निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है।

जननी सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्य	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
हितग्राही की पात्रता	सभी गर्भवती महिलाएं।
आवेदन की प्रक्रिया	आवेदन की आवश्यकता नहीं। संबंधित उपस्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा मितानिन से सम्पर्क कर लाभ लिया जा सकता है।
मिलने वाले लाभ	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने एवं हितग्राही को 1400 रूपए, शहरी क्षेत्र में गर्भवती माता को स्वास्थ्य केन्द्र तक लाने के लिए 400 रूपए परिवहन खर्च और मितानिन को 200 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अपने घर में मितानिन अथवा ए.एन.एम. की देखरेख में प्रसव कराने पर भी महिला को 500 रूपए तक की सहायता दी जाती है।
सम्पर्क	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल अथवा किसी भी शासकीय अस्पताल में प्रसव कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना

15 अगस्त 2011 से प्रदेश में प्रारंभ राज्य के सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 134168 माताऐं तथा 10658 बच्चों, वर्ष 2013–14 में 2224382 माताऐं एवं 28348 बच्चों, वर्ष 2014–15 में 215008 माताऐं एवं 53338 बच्चों तथा वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर तक 160788 माताऐं एवं 43958 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

कृषक जीवन ज्योति योजना

योजना का उद्देश्य	छ.ग. शासन द्वारा कृषकों के लिए जीवन ज्योति योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सामान्य कृषक जिनके स्थायी/अस्थायी पंप कनेक्शन 3 हॉर्स पावर तक एवं 3 से 5 हॉर्स पावर तक हैं, उनके लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 6000 यूनिट एवं 7500 यूनिट तक ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार में छूट का प्रावधान किया गया है इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक जिनके पंप कनेक्शन 5 हॉर्स पावर तक है उनके लिए विद्युत खपत पर अधिकतम सीमा मुक्त रखते हुए उनके द्वारा खपत की गई संपूर्ण विद्युत पर ऊजा प्रभार एवं स्थायी प्रभार के भुगतान से छूट दी गई है।
हितग्राही की पात्रता	इस योजना में प्रदेश के प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य के 5 हॉर्स पावर तक के एक कृषि पंप कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता है।
मिलने वाले लाभ	1. सामान्य कृषक जिनके स्थायी/अस्थायी पंप कनेक्शन 3 हॉर्स पावर तक एवं 3 से 5 हॉर्स पावर तक है उनके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 6000 यूनिट से 7500 यूनिट तक ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार में छूट का प्रावधान किया गया है। 2. सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की काई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती किसानी में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। 3. कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को नवम्बर 2013 से फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। जिसके अंतर्गत रूपये 100/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह से विद्युत देयक फ्लेट रेट के विकल्प चुनने वाले कृषकों को जारी किये जायेंगे।
सम्पर्क	क्षेत्र से संबंधित कनिष्ठ यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के कार्यालय से।

108 आपातकालीन सहायता सेवा

108 एक आपातकालीन सहायता सेवा है, जो स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निरोध आदि की स्थिति में आपातकालीन सहायता/सेवा उपलब्ध कराती है। यह सेवा 24 घंटे व 365 दिन जनहित हेतु उपलब्ध होती है जिसे 108 नंबर पर कॉल कर के प्राप्त किया जा सकता है।

क्या है 108

- 108 तीन अंकों का एक निःशुल्क नंबर है। इसका उपयोग चिकित्सा, पुलिस व आग से सम्बंधित आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है।
- 108 सेवा एक निःशुल्क सेवा है जो 24 घंटे व 365 दिन जनहित के लिए उपलब्ध है।
- 108 नंबर किसी भी मोबाईल फोन या लेंडलाईन से डायल किया जा सकता है।
- 108 सेवा समाज के हर वर्ग के लिए है, इसमें एपीएल और बीपीएल का कोई बंधन नहीं है।

कब डायल करें 108 नंबर

- दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने पर।
- तेज पेट दर्द, सांस में तकलीफ होने पर।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर।
- जानवरों के काटने, अचानक बेहोश होने पर।
- जब कोई अपराध हो रहा हो या आग लग गयी हो, उस समय फायर बिग्रेड और एम्बुलेंस की आवश्यकता हो।
- इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की इमरजेंसी की स्थिति में।

बेवजह न करें फोन

108 के कॉल सेंटर में हर रोज हजारों आवाश्यक कॉल्स आती हैं जिसको अटेण्ड कर आवश्यकतानुसार सहायता दिया जाता है, जिसमें अत्याधिक मशक्कत करनी पडती है। अतः 102 पर अनावश्यक कॉल न करके आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं।

102 क्या है

- 102 तीन अंकों का टोल फ्री नंबर है और इस पर फोन करने वाले को कोई पैसा नहीं लगेगा।
- 102 सेवा एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है, इस पर 24 घंटे व 365 दिन फोन किया जा सकता है।
- 102 नंबर पर लैंडलाइन और मोबाईल दोनो से कॉल की जा सकती है।
- 102 नंबर पर फोन करने के बाद शीघ्र ही नजदीकी एम्बुलेंस सहायता के लिए पहुंचगी।

कब डायल करें 102

- 102 एम्बुलेंस सेवा में गर्भवती महिला को घर से अस्पताल तक लाने और वापस घर तक छोड़ने के लिए मिलती है।
- इसके अलावा बेहतर इलाज के लिए गर्भवती महिला व शिशु को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक छोड़ा जाता है।
- इस एम्बुलेंस सेवा में एक साल तक के बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर घर से अस्पताल लाने और वापस अस्पताल से घर छोड़ने की सेवा उपलब्ध है।

बेवजह न करें फोन

102 के कॉल सेंटर में हर रोज हजारों आवाश्यक कॉल्स आती हैं जिसको अटेण्ड कर आवश्यकतानुसार सहायता दिया जाता है, जिसमें अत्याधिक मशक्कत करनी पडती है। अतः 102 पर अनावश्यक कॉल न करके आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं।

सक्षम योजना

योजना का उद्देश्य	विधवा/तलाकशुदा अथवा अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना एवं उनमें व्यवसायिक क्षमता विकसित करना।
क्रियान्वयन एजेंसी	महिला एवं बाल विकास विभाग।
कार्य क्षेत्र	संपूर्ण छत्तीसगढ़।
आवेदक के लिए पात्रताएं	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं और 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है।
आवेदन की प्रक्रिया	हितग्राही स्वयं आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में जमा कर सकते है।
मिलने वाला लाभ	लघु व्यवसाय आरंभ करने के लिए 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम एक लाख रूपए तक का ऋण।
चयन प्रक्रिया	जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
सम्पर्क सूत्र	जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी।

स्वावलंबन योजना

योजना का उद्देश्य	विधवा/तलाकशुदा अथवा अविवाहित महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना एवं उनमें व्यवसायिक क्षमता विकसित करना।
क्रियान्वयन एजेंसी	महिला एवं बाल विकास विभाग।
कार्य क्षेत्र	संपूर्ण छत्तीसगढ़।
आवेदक के लिए पात्रताएं	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं और 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है।
आवेदन की प्रक्रिया	हितग्राही स्वयं आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में जमा कर सकते है।
मिलने वाला लाभ	योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं को ब्यूटी पार्लर कोर्स, कम्प्यूटर टायपिंग एवं शार्टहैण्ड प्रशिक्षण, टेली एकाउण्टिंग प्रशिक्षण, कूकिंग कोर्स, सिलाई–कढ़ाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण।
चयन प्रक्रिया	जिला प्रबंधक द्वारा।
संपर्क सूत्र	जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी।

''सखी'' वन–स्टॉप सेन्टर

महिला बाल विकास विभाग द्वारा पीडित एवं संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में ''सखी'' वन–स्टॉप सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

लक्ष्य :– इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को चिकित्सकीय सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी मद्द तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श समेत एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त इस योजना अंतर्गत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अस्थायी सहायता सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती है।

विशेषताएँ :– योजना अंतर्गत प्रदेश में ''सखी'' वन–स्टॉप सेन्टर की स्थापना किया गया है। सेन्टर में किसी भी अपराध से पीडित महिला या युवती की शिकायत सुनी जाती है, साथ ही समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया जाता है।

सेन्टर में पीडित महिलाओं को आवश्यकतानुसार सभी जरूरी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाती है।

शिकायतकर्ता फोन नं. 181 पर कॉल कर या खुद पहुच कर शिकायत कर सकती है।